



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- करौली में पटवारी को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 04 मई। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की करौली इकाई द्वारा आज पटवारी, पटवार हल्का ग्राम पाली, तहसील सूरुठ, जिला करौली यशपाल सिंह को परिवादी से 5 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. करौली इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि जमीन का नामान्तकरण खोलने की एवज में पटवारी, पटवार हल्का ग्राम पाली, तहसील सूरुठ, जिला करौली यशपाल सिंह 5 हजार रुपये की राशि रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की करौली इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री अमरसिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये यशपाल सिंह पुत्र श्री रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम कोटरी, पुलिस थाना सदर हिण्डौन जिला करौली हाल निवासी वार्ड नं0 30, पानी की टंकी के पास, मोहन नगर, हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल पटवारी, पटवार हल्का ग्राम पाली, तहसील सूरुठ, जिला करौली को परिवादी से 5 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।